भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3312**

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

**किसान क्रेडिट ऋण के लिए विधिक रिपोर्ट की बाध्यता**

3312. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बैंकों से किसान क्रेडिट ऋण लेने वाले किसानों के लिए बैंकों ने अधिवक्ताओं के माध्यम से विधिक रिपोर्ट अधिदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्रवाई किए जाने के क्या कारण हैं और ऐसी कार्रवाई के क्या तर्क हैं जबकि किसानों की भूमि से संबंधित पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है;

(ग) बैंकों द्वारा ऐसा कोई नियम न होने के बावजूद भी ऋण देते समय ऐसी रिपोर्ट की माँग किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बैंकों द्वारा विधिक रिपोर्ट की माँग किए जाने के कारण किसानों को वित्तीय हानि होती है;

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा बैंको की ऐसी बाध्यता को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क) से (च):** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत 1.6 लाख रुपये तक की राशि का संपार्श्विक मुक्त अल्पावधि फसल ऋण प्रदान किया जाता है और इस सीमा तक केसीसी ऋण लेने के लिए किसी भी कानूनी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तत्पश्चात् आरबीआई ने विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों के संबंध में दिनांक 6.12.2024 के अपने वक्तव्य के माध्यम से केसीसी ऋण के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने बैंक को 3 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण के लिए प्रोसेसिंग, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण और अन्य सेवा प्रभारों से छूट देने का सलाह दिया है।

संपार्श्विक मुक्त सीमा से अधिक राशि के किसान क्रेडिट ऋण प्रदान करने के लिए भूमि अभिलेख दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए विधिक राय ली जाती है। विधिक रिपोर्ट मुख्यतया निम्नांकित सुनिश्चित करने के लिए ली जाती हैः-

(i) आवेदकों का सही और यथार्थ स्वामित्व।

(ii) भूमि का ऋण-भार से मुक्त होना।

(iii) भूमि पर कोई वाद-विवाद/ स्थगन आदेश।

(iv) भूमि पर उधारकर्ता का वास्तविक कब्जा।

*****